

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 436 / 2016 / अलवर.
2. अपील संख्या - 437 / 2016 / अलवर.
3. अपील संख्या - 438 / 2016 / अलवर.
4. अपील संख्या - 439 / 2016 / अलवर.

मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लिमिटेड,
फ्लैट नं० 1204, 12th Floor, कैलाश बिल्डिंग,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
(पूर्व पता-बी-48, गणपति प्लाजा, भिवाड़ी, अलवर)

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-III, जयपुर.प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या - 1161 / 2016 / अलवर.
6. अपील संख्या - 1162 / 2016 / अलवर.
7. अपील संख्या - 1163 / 2016 / अलवर.
8. अपील संख्या - 1164 / 2016 / अलवर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-III, राज. जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लिमिटेड,
बी-48, गणपति प्लाजा, भिवाड़ी, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री संजीव सचदेवा व. श्री जे. पी. सिंह,

अभिभाषकगण

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/06/2017

निर्णय

1. उपरोक्त सभी आठ अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 22, 23, 24 व 25/RVAT/2015-16/अपी.प्राधि./अलवर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 14.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों (2009-10 से 2012-13 तक) के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से

लगातार.....2

—: 2 :- 1-8. अपील संख्या-436 वे 439/16 एवं 1161 से 1164/2016/जयपुर.


स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 436/2016 से 439/2016 एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1161/2016 से 1164/2016 प्रस्तुत की गयी हैं।

2. ये सभी अपीलें एक ही अपीलार्थी व्यवहारी से सम्बन्धित होने एवं सभी में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 29.12.2014 को किया गया था जिसमें वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान मोबाईल फोन की एक पैक के रूप में की गई बिक्री में मोबाईल चार्जर की बिक्री भी अधिनियम की अनुसूची-IV अनुसार 4/5 प्रतिशत से कर दिया जाना अविधिक मानते हुए इस पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुसूची-V के तहत सामान्य कर दर 12.5/14 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित करते हुए अन्तर कर आरोपित किया गया एवं अन्तर कर जमा नहीं होने से अनुवर्ती ब्याज एवं कम दर से कर अदा करने के कृत्य को करापवचन का कृत्य मानकर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई।

4. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त वर्षों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा क्रय विक्रय सम्बन्धी समस्त संव्यवहार नियमित लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट किये हुए थे एवं किसी भी तरह के संव्यवहारों को छिपाये जाने का कृत्य नहीं था अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपास्त योग्य माना गया।

5. उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलीय निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी फर्म एवं राजस्व की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज की पुष्टि किये जाने एवं राजस्व की ओर से शास्ति को अपास्त किये जाने को चुनौती दी गयी है।





लगातार.....3

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

7. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा सेल्यूलर फोन की बिक्री एक पैकेज के रूप में की जाती है जिसमें फोन, चार्जर, बैटरी, हैडफोन एवं एक बुकलेट दी जाती है। उक्त पैकेज के पैकिंग पर सेल्यूलर फोन की फोटो एवं मॉडल नम्बर अंकित किये हुए रहते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि व्यवसायी द्वारा मूल रूप से एक सेल्यूलर फोन की बिक्री की जाती है। यह भी बताया कि प्रत्येक पैकेज पर अधिकतम विक्रय मूल्य भी अंकित किया जाता है जो कि विधिक रूप से अनिवार्य होता है अभिप्राय यह बताया कि अधिकतम विक्रय मूल्य में पैकेज में दिये जा रहे अलग-अलग आईटम के मूल्यों का विभक्तिकरण नहीं किया जाता है बल्कि पूरे पैकेज का एक मूल्य निर्धारित होता है जिसमें बैटरी एवं चार्जर सम्मिलित होते हैं।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसायी द्वारा विक्रय किये जाने वाले पैकेज जो कि सेल्यूलर फोन का पूरा सैट होता है अतः इसके विक्रय पर कर दर कर अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 के अनुसार 4/5 प्रतिशत निर्धारित है जिसमें सेल्यूलर टेलीफोन्स पृथक रूप से अंकित हैं साथ ही यह बताया कि व्यवसायी द्वारा विक्रय किये गये सेल्यूलर फोन के साथ बैटरी चार्जर एवं हैडफोन सेल्यूलर फोन के पार्ट ही होने से उक्त प्रविष्टि संख्या 12 के पश्चात् दी गई प्रविष्टि संख्या 28 में उन सभी पार्ट्स को भी सम्मिलित किया है जो पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 1 से 27 की वस्तुओं के पार्ट के रूप में विक्रय किये जाते हैं परन्तु यह भी कथन किया कि जब व्यवसायी द्वारा बैटरी चार्जर को अलग से विक्रय किया गया था तब उस पर कर दर 14 प्रतिशत वसूल की गयी थी।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके उक्त विवादित अवधियों के कर निर्धारण आदेश नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये हुए थे जिसमें सेलफोन के साथ विक्रय किये गये बैटरी चार्जर को सम्मिलित मानते हुए इस पर कर दर 4/5 प्रतिशत से होना सही स्वीकार किया गया था जबकि विवादित कर निर्धारण आदेशों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पैकेज के भीतर बिक्री किये गये बैटरी चार्जर की पृथक बिक्री मानकर पृथक कर दर से आदेश पारित किया गया है जो अविधिक है अतः आरोपित किया गया अन्तर कर मय ब्याज अपास्त योग्य है।





लगातार.....4

कर दर के विवाद के अलावा यह बिन्दु भी विवादित किया गया कि कर निर्धारण आदेशों में अन्तर कर आरोपित करते समय सभी वर्षों में बैटरी चार्जर की Sale Price (विक्रय मूल्य) रूपये 370/- मानी गयी है जो मनमाने तरीके से अनुमानित की गयी है जबकि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत Cost Accountant द्वारा चार्जर के मूल्य निर्धारण के प्रमाण-पत्र पेश किये गये थे परन्तु उसे बिना किसी आधार के अस्वीकार किया है जिसमें यह बताया गया था कि बैटरी चार्जर के निर्माण पर औसत लागत रूपये 63.03 एवं ट्रेडिंग में अलग से विक्रय करने पर औसत विक्रय मूल्य रूपये 151.96 प्राप्त होता था। उन्होंने कथन किया कि वेट अधिनियम के तहत ऐसी कोई प्रक्रिया विहित नहीं की गयी है जिसके अनुसार किसी पैक में बेचे गये किसी एक आईटम का मूल्य निर्धारित किया जा सके। इस तरह कर निर्धारण आदेश में बैटरी चार्जर का मूल्य प्रत्येक वर्ष में रूपये 370/- मानते हुए जो मूल्यांकन किया गया है वह अव्यवहारिक एवं अवास्तविक होने से अपास्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक ने मूल्यांकन के सम्बन्ध में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बैटरी चार्जर की खरीद मैसर्स Salcom Manufacturing India Pvt. Ltd. से की थी अतः प्रत्येक वर्ष में खरीद मूल्य के साथ ही उनके द्वारा ट्रेडिंग बिजनेस में किये गये विक्रय मूल्य अनुसार मूल्यांकन करने का निर्देश देने का तर्क अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के उनके तर्क को अमान्य किया गया है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन दो विक्रय बिलों एवं वेबसाइट पर कम्पनी द्वारा घोषित किये गये मूल्यों के आधार पर औसत मूल्य का निर्धारण किया गया है जो इस आधार पर अनुचित है कि वे दोनों बिल अपीलार्थी फर्म के न होकर मैसर्स नोकिया इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 के बिल थे एवं वे वित्तीय वर्ष 2013 एवं 2015 के वर्षों से सम्बन्धित बिल थे जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 व 2015-16 के बिलों के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के सभी वर्षों के लिये उसी आधार पर औसत कीमत ले ली गई जो प्रथम दृष्टया अनुचित है।

विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत किये गये आदेशों को इस आधार पर अविधिक बताया कि धारा 25 में पृथक से कर निर्धारण तभी किया जा सकता है जब प्राधिकृत अधिकारी को ऐसा Reason to believe हो कि किसी व्यवसायी द्वारा कर या आई.टी.सी. को avoid अथवा evade करने के लिये पर्याप्त कारण उपलब्ध है जबकि इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई पर्याप्त कारण

नहीं होने से किये गये कर निर्धारण आदेश अविधिक हैं। यह भी कथन किया कि स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लि० में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 से सम्बन्धित विवादित मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था जो पंजाब वेट अधिनियम के तहत पारित किये गये आदेशों से सम्बन्धित हैं अतः उन आदेशों के सन्दर्भ में अपीलार्थी फर्म के कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं होना बताया। यह भी कथन किया कि उक्त कर निर्धारण आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के नोकिया इण्डिया के निर्णय के आधार पर किये गये निर्णय हैं जो मत परिवर्तन (Change of opinion) के आधार पर किये गये हैं जो विधिक रूप से अनुमत नहीं है। अपने इस कथन के समर्थन में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय सी.आई.टी. बनाम एस्कोटर्स लिमिटेड (2011) 338 आई.टी.आर. 435 (दिल्ली) पेश किया। विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर के जमा नहीं होने के आधार पर आरोपित ब्याज का विरोध करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 55 में केवल उन्हीं मामलों में ब्याज आरोपित किया जा सकता है जब कोई कर Leviable or payable हो और वह समय पर जमा नहीं कराया गया हो। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा देय कर समय पर जमा करवाया हुआ है एवं उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में पारित किये गये हैं ऐसी स्थिति में उन्हें कर निर्धारण किये जाने तक उनके विरुद्ध कोई कर अदत्त नहीं रहा था। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स 'जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 2393 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कार्यपालक इंजीनियर सी.पी.डब्ल्यू.डी. (2011) 42 वी.एस.टी. 150 (राज.) का हवाला देते हुए कथन किया कि कर निर्धारण आदेश पारित करने के बाद ही ब्याज आरोपणीय है।

उक्त कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश में कर एवं ब्याज को यथावत रखने सम्बन्धी निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नोकिया इण्डिया प्रा० लि० के प्रकरण में दिये गये सिद्धान्त अनुसार बैटरी चार्जर को एसेसरी मानते हुए जो करारोपण किया गया है वह विधिसम्मत है परन्तु अपीलीय आदेश में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत करापवंचन के कृत्य के अपराध में आरोपित शास्ति को





लगातार.....6

:- 6 :- 1-8. अपील संख्या-436 वे 439/16 एवं 1161 से 1164/2016/जयपुर.

अपास्त करने का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देय कर उचित दर से जमा नहीं करवाया है ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत होने से अपीलीय आदेश इस सीमा तक अपास्त योग्य है।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

10. कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में मुख्य विवाद का बिन्दु मोबाईल फोन के बैटरी चार्जर पर कर दर अवधारित किये जाने से सम्बन्धित है। यह सत्य है कि विभाग द्वारा पूर्व में बैटरी चार्जर को मोबाईल फोन का पार्ट मानते हुए सेलफोन एवं उनके पार्ट के लिये दी गयी कर अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अनुसार 4/5 प्रतिशत से नियमित कर निर्धारण किये गये थे परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वयं अपीलार्थी के प्रकरण में पारित निर्णय (सिविल अपील संख्या 11486-11487/2014 स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम नोकिया इण्डिया प्रा० लि० निर्णय दिनांक 17.12.2014) के आलोक में ही ये कर दर सम्बन्धी निर्णय किये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि :-

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

11. इस तरह उक्त निर्णय में मोबाईल फोन के चार्जर, मोबाईल फोन का पार्ट नहीं होकर उसकी एसेसरी माना गया है एवं इसे मोबाईल फोन का कम्पोजिट पार्ट नहीं माना है बल्कि इसे एक स्वतंत्र उत्पाद के रूप में होना एवं इसका पृथक से विक्रय किया जाना मानते हुए एसेसरी के रूप में करदेयता होने का निर्णय किया गया है ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी के मामले में ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोबाईल चार्जर को एसेसरी माना गया है तब कर निर्धारण अधिकारी का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पारित किया जाना अविधिक नहीं ठहराया जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय उचित होने से इसमें किसी हस्तक्षेप की





लगातार.....7

—: 7 :- 1-8. अपील संख्या-436 वे 439/16 एवं 1161 से 1164/2016/जयपुर.

आवश्यकता नहीं है। उक्त समान मामले में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 694-696/2016/जयपुर मैसर्स बेस्ट आई.टी. वर्ल्ड (इण्डिया) प्रा० लि०, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर निर्णय दिनांक 07.06.2017 में विस्तृत निर्णय पारित किया गया है, जिसके सुसंगत भाग को उद्धरित किया जाता है :-

“7. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का दिनांक 25.11.2014 को सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पाया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत कम्पोजिट सेट में मोबाईल बैटरी चार्जर भी सम्मिलित था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.4.2015 को माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा० लि० के निर्णय के आधार पर मोबाईल बैटरी चार्जर को एसेसरी मानते हुए एवं वेट अनुसूची-I, II, III, IV & VI की किसी भी प्रविष्टि में मोबाईल बैटरी चार्जर अंकित नहीं होने से एवं इसे मोबाईल एसेसरी माने जाने से अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत से कर दायित्व निर्धारण करने का प्रस्ताव किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-12 में सेलफोन को अंकित किया हुआ है एवं इसी पार्ट की प्रविष्टि संख्या 28 में इस पार्ट की प्रविष्टि संख्या 1 से 27 में अंकित वस्तुओं के ‘पार्ट्स’ को भी सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के कर निर्धारण आदेशों में मोबाईल बैटरी चार्जर को मोबाईल का पार्ट मानकर इस पर 5 प्रतिशत की कर दर का निर्धारण किया गया था परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जब यह निर्णय किया गया कि मोबाईल बैटरी चार्जर मोबाईल का पार्ट नहीं होकर उसकी एसेसरी है तब कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांच की जाकर मोबाईल बैटरी चार्जर पर अनुसूची-V के अनुसार कर दर 14 प्रतिशत निर्धारित कर कर आरोपित किया गया है इस तरह पूर्व में निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर राशि 9 प्रतिशत कर एवं वह राशि राजकोष में जमा नहीं होने से उस पर ब्याज का आरोपण भी किया गया।

8. इस प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा साफ तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित विधि अनुसार मोबाईल बैटरी चार्जर पर एसेसरी के रूप में कर आरोपण करने की कार्यवाही की गयी है। इसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है।”

प्रस्तुत प्रकरण माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश के तथ्यों एवं विधि से कवर्ड होने से इस बिन्दु पर अपीलिय आदेश की पुष्टि की जाती है।





लगातार.....8


12. अपीलीय निर्णय में अपीलार्थी के द्वारा मोबाईल चार्जर पर अन्तर कर आरोपित करने से पूर्व उसके मूल्यांकन के सम्बन्ध में जो तर्क दिये गये थे उन्हें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी फर्म द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के मध्य मोबाईल बैटरी चार्जर की पृथक से बिक्री नहीं किया जाना प्रमाणित था ऐसी स्थिति में उनका यह तर्क कि अलग से मूल्यांकन किये जाने की वेद अधिनियम के तहत कोई प्रक्रिया विहित नहीं होने से सामान्य व्यवसायिक व्यवहार अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिये था, उचित तर्क है एवं कर निर्धारण आदेशों से भी प्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म की स्वयं की डिस्ट्रिब्यूटर कम्पनी नोकिया सेल्स के द्वारा मोबाईल बैटरी चार्जर के लिये पृथक से जारी बिल के आधार पर मूल्यांकन किया गया है परन्तु यह मूल्यांकन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009 से 2013 तक के वर्षों के कोई बिल प्राप्त नहीं किये गये बल्कि वर्ष 2013 एवं 2015 के बिलों को इन वर्षों में आधार बनाया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अनुचित एवं अप्रासांगिक है क्योंकि वर्ष 2013 और 2015 के केवलमात्र दो बिलों के आधार पर उसके 4 वर्ष पूर्व की अवधियों में वही विक्रय मूल्य अवधारित किया जाना व्यवसायिक व्यवहार में स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। रेकॉर्ड के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2013 एवं 2015 में अपीलार्थी कम्पनी की डिस्ट्रिब्यूटर फर्म द्वारा जो बिल जारी किये गये हैं उनमें भी अलग-अलग चार्जर के अलग-अलग विक्रय मूल्य प्राप्त किये गये हैं ऐसी स्थिति में वर्ष 2009-10 से 2012-13 के सभी वर्षों में समान रूप से प्रत्येक मोबाईल चार्जर पर औसत मूल्य वर्ष 2013 व 2015 के आधार पर रुपये 370/- अवधारित किया जाना उचित नहीं होने से इस सीमा तक अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण के समय दिये गये मोबाईल बैटरी चार्जर सम्बन्धी परचेज बिल जो मैसर्स Salcom Manufacturing India Pvt. Ltd. एवं Cost Accountant के प्रमाण-पत्र तथा Open market में की गई बिक्री के सम्बन्धित वर्षों के डिस्ट्रिब्यूटर के बिलों के आधार पर सर्वोत्तम ज्ञान से मूल्यांकन का निर्धारण करें। इस सम्बन्ध में यह सलाह दिया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी व्यवहारी की डिस्ट्रिब्यूटर कम्पनी द्वारा पृथक से बिक्री किये गये चार्जर की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की कमी मानते हुए मूल्यांकन करें क्योंकि यह भी प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा अलग से कोई चार्जर विक्रय नहीं किये गये हैं बल्कि एक पैकेज के रूप में सम्मिलित रूप से विक्रय किये गये हैं ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह मार्केट में पृथक से बिक्री किये गये बैटरी चार्जर से कम मूल्य पर माने जा सकते हैं।


13. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जहां तक ब्याज के मामले में विभिन्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं वे 1954 एवं 1994 के विक्रय कर अधिनियम से सम्बन्धित हैं जबकि वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 31 टैक्स अपडेट 303 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा बनाम ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि देय कर के साथ ब्याज की गणना स्वतः होगी अतः अन्तर कर पर ब्याज की गणना किया जाना विधिसम्मत मानते हुए विधिक रूप से इसकी पुष्टि की जाती है अतः प्रतिप्रेषित प्रकरण में मूल्यांकन के पश्चात् जो कर राशि गणनीय होती है, के अनुसार ब्याज की गणना किये जाने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

14. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों पर विचार किया गया। अपीलीय निर्णय में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि व्यवसायी द्वारा बैटरी चार्जर पृथक से बिक्री नहीं करना एवं सेलफोन के पैकेज के साथ बिक्री होने से तत्समय प्रचलित विधि एवं न्यायिक निर्णयों अनुसार 4/5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया गया था एवं किसी भी संव्यवहार को अपनी लेखा-पुस्तकों से छिपाया नहीं गया था बल्कि प्रत्येक संव्यवहार को विवरण-पत्रों में दर्शाया हुआ था। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विभाग द्वारा भी बैटरी चार्जर को पैकेज का पार्ट मानते हुए नियमित रूप से सेलफोन के पार्ट के अनुसार कर दर आरोपित की गयी थी ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी की कोई गलती नहीं होने से अपीलीय निर्णय में शास्ति को न्यायिक रूप से अपास्त किया गया है जिसकी पुष्टि की जाती है।

15. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मूल्यांकन के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं तथा राजस्व की अपीलों अस्वीकार की जाती हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य